न्यायालय–विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति
(अत्याचार निवारण) प्रकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी – **सुनीता बेड़ा, आर.जे.एस.**
(डी.जे. कैडर)

विविध दांडिक प्रकरण संख्या – **168/2026** (सी.आई.एस सं. 34/2026)

सी.एन.आर. संख्या – **RJHG060003482026**

मैसर्स सहारण माइंस पता खाता संख्या 333, खसरा नंबर 11 26, कानसर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ जरिए प्रोपराइटर रणजीत पुत्र बीरबल राम निवासी वार्ड नंबर 06, कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

...प्रार्थी/सुपुर्दगीदार...

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए विशिष्ट लोक अभियोजक, हनुमानगढ़।

प्रार्थना–पत्र सुपुर्दगी प्राथमिकी सं. 36/2026,
पुलिस थाना खुइयां

उपस्थित:–
1– श्री विजय गौंद– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/सुपुर्दगीदार की ओर से।
2– श्री पवन श्रीवास्तव– विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

–– आदेश––

दिनांक:– 03.06.2026

1– प्रार्थी/सुपुर्दगीदार मैसर्स सहारण माइंस के प्रोपराइटर रणजीत की ओर से यह सुपुर्दगी का आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। मामले की केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट परिवादी को इस प्रार्थना की सुनवाई से पूर्व दी गई सूचना की रिपोर्ट सहित पेश हुई। उभयपक्षों को सुना गया। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

2– प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के अधिवक्ता ने सुपुर्दगी आवेदन के संबंध में जुबानी बहस के दौरान प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी जब्तशुदा वाहन बोलेरो कैम्पर संख्या आरजे 49 जीए 6558 का रजिस्टर्ड स्वामी है। उक्त वाहन को इस प्रकरण में बतौर वजह सबूत जब्त किया हुआ है, जिसकी अब पुलिस को आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी को उक्त वाहन की हर समय आवश्यकता रहती है। अतः उसे उक्त वाहन सुपुर्दगी पर दिया जावे।

3– विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने जाहिर किया कि उक्त जब्तशुदा वाहन के संबंध में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। अतः प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र सुपुर्दगी का नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

4– उभय पक्ष को सुना गया एवं केसडायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

5– मामले के तथ्योंनुसार प्रथम सूचना संख्या 36/2026, पुलिस थाना खुइयां के मामले में बतौर वजह सबूत जब्तशुदा वाहन बोलेरो कैम्पर संख्या आरजे 49 जीए 6558 को जब्त किया हुआ है। प्रार्थी/सुपुर्दगार ने उक्त वाहन को अपना रजिस्टर्ड स्वामित्व का होना जाहिर किया है तथा प्रार्थना पत्र के साथ जब्तशुदा वाहन की आर.सी, बीमा व स्वयं का आधार कार्ड आदि दस्तावेजात प्रस्तुत किए हैं। उक्त दस्तावेजात से प्रार्थी/सुपुर्दगीदार इस मामले में जब्तशुदा उक्त वाहन का बेहतर दावेदार व स्वामी प्रतीत होता है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी के अलावा उक्त वाहन के संबंध में अन्य कोई दावेदार भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अवलोकन से उक्त वाहन के संबंध में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त जब्तशुदा वाहन बोलेरो कैम्पर संख्या आरजे 49 जीए 6558 प्रार्थी मैसर्स सहारण माइंस के प्रोपराइटर रणजीत को अंतरिम सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

––आदेश––

6– अतः प्रार्थी/सुपुर्दगीदार मैसर्स सहारण माइंस पता खाता संख्या 333, खसरा नंबर 11 26, कानसर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ जरिए प्रोपराइटर रणजीत पुत्र बीरबल राम निवासी वार्ड नंबर 06, कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ की ओर से प्रस्तुत सुपुर्दगी आवेदन निम्न शर्तों के साथ स्वीकार किया जाता है कि यदि प्रार्थी इस न्यायालय के संतोषप्रद समाधान में **9 लाख रूपए** का सुपुर्दगीनामा एवं **इसी राशि का एक जमानतनामा** निम्न शर्तो के तहत प्रस्तुत कर तस्दीक करवा देवे तो उक्त जब्तशुदा वाहन बोलेरो कैम्पर संख्या आरजे 49 जीए 6558 प्रार्थी/सुपुर्दगीदार को अंतरिम सुपुर्दगी पर दे दी जावेः–

1– प्रार्थी उक्त वाहन कार को अपनी अंतरिम सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के पश्चात उसके रंग रोगन व इंजन इत्यादि में कोई महत्वपूर्ण तात्विक रद्दोबदल व परिवर्तन नहीं करेगा।

2– न्यायालय को उक्त वाहन की आवश्यकता होने पर एवं उसे तलब करने पर वह स्वयं के खर्चे पर उक्त वाहन को न्यायालय में अविलंब पेश कर देगा।

ह0/–
(सुनीता बेड़ा)
विशिष्ट न्यायाधीश
एस.सी./एस.टी.(अत्याचार निवारण प्रकरण)
हनुमानगढ़

7– यह आदेश आज दिनांक 03.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

ह0/–
(सुनीता बेड़ा)
विशिष्ट न्यायाधीश
एस.सी./एस.टी.(अत्याचार निवारण प्रकरण)
हनुमानगढ़

मूल से मिलान किया गया।

VINAY KUMAR

Digitally signed by VINAY KUMAR
Date: 2026.06.05 11:35:56 +0530